बेंगलुरु में कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक में माननीय लोक सभा अध्यक्ष का सम्बोधन।

कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री वी.एस. कागेरी जी, कर्नाटक विधान परिषद के सभापति माननीय श्री बसवराज होरट्टी जी, माननीय मंत्रीगण, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, विधान सभा एवं विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, प्रबुद्धजन, देवियों और सज्जनों,

------

1. कर्नाटक विधान सभा और विधान परिषद् की संयुक्त बैठक में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

2. यहां का विधान सभा भवन लोकतंत्र का अनुपम प्रतीक है जो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को reflect करता है। यह ऐतिहासिक भवन और यहां की समृद्ध लोकतांत्रिक यात्रा हमें नई प्रेरणा देती है।

3. जब देश और दुनिया के लोग कर्नाटक आते हैं तो पर्यटक के रूप में इस विधान सौध को भी देखने आते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रेरणा ग्रहण करते हैं।

4. कर्नाटक का एक समृद्ध और गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर का 'अनुभव मंटपम्' आधुनिक अर्थों में एक लोक संसद ही था। आजादी की लड़ाई में रानी चेनम्मा का सर्वोच्च बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है।

5. साथियो, कर्नाटक प्रांत की लोकतंत्र की यात्रा अत्यन्त समृद्ध और गौरवपूर्ण रही है। इस लोकतांत्रिक यात्रा को समृद्ध बनाने में जिन राजनेताओं का योगदान रहा है, मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए।

6. आज जिस विषय पर आपके साथ विचार साझा करने का अवसर मिल रहा है, वह एक महत्वपूर्ण विषय है। लोकतंत्र में आजादी के पिछले सात दशकों की यात्रा के अंदर हमने संसदीय व्यवस्था से शासन चलाने की पद्धति अपनाई थी, उन संसदीय मूल्यों का संरक्षण करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और जवाबदेह बनाने की दिशा में हम कहां तक पहुंचे हैं, यही विचार करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं।

7. आज संपूर्ण विश्व में संसदीय प्रजातंत्र को ही शासन चलाने की सर्वोत्तम पद्धति माना गया है। ऐसे में हमने 75 साल की यात्रा में संसदीय लोकतंत्र व विधायिका को और सशक्त किया है और विभिन्न आयामों में प्रगति की है।

8. हमारे लोकतंत्र के मूल में सदैव देश की जनता रही है। संविधान बनाने वाले हमारे मनीषियों ने जनता को ही केन्द्र में रखकर संविधान का निर्माण किया था।

9. यही कारण है कि भारत में अब तक 17 आम चुनाव एवं 300 से अधिक विधान सभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुए है जिसमें मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी और बढ़ी है। चुनावों के बाद सत्ता का सहज हस्तांतरण होना लोकतंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

10. देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हमने जनता के कल्याण को सर्वोपरि माना है। इन्हीं विधान मंडलों से हम जनता की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं।

11. लेकिन आज 75 वर्षों की यात्रा में पुनः विवेचना करने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस प्रकार जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। हमारा शासन लोगों की भावनाओं के अनुरूप हो, जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हो, जनता के कल्याण के लिए हो, इसके लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

12. संसदीय लोकतंत्र की नींव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही पर टिकी हुई है। संसद एवं विधान मंडलों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति संवेदनशील रहें तथा उनकी आशाओं और अपेक्षाओं को इन विधान मंडलों के माध्यम से पूर्ण कर सके।

13. हमारे विधानमंडल लोकतंत्र की आत्मा हैं। देश के लिए नीतियां और कानून बनाने का दायित्व विधान मंडलों के कंधों पर है।

14. हम विधान मंडलों को अधिक जिम्मेदार तभी बना सकते हैं जब इनके अंदर जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो, संवाद हो।

15. आज हमारे विधायी निकाय बहुआयामी कार्य कर रहे हैं जिसमें लोगों की समस्या और शिकायतों को अभिव्यक्ति दी जाती है और कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय की जाती है।

16. इन सभी जिम्मेदारियों के कारण विधान मंडलों के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहें तथा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएं।

17. संवैधानिक व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के अधिकार और कर्त्तव्य परिभाषित किए गए हैं तथा सबकी अपनी-अपनी सीमाएं भी तय की गई हैं।

18. लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विधायिका की है क्योंकि यही वह संस्था है जो जनता की इच्छाओं के अनुरूप कानून बनाती है।

19. संविधान बनाते समय हमारे मनीषियों की भावना भी यही थी कि हमारी विधायिका अधिक जागरूक, कर्त्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जिम्मेदार हो ताकि जनता की सामाजिक- आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके।

20. ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कानून बना रहे हैं, उन पर व्यापक चर्चा हो, संवाद हो और विधायकों की अधिक सक्रिय भागीदारी हो ताकि जो कानून बने, उस पर कोई सवाल न उठे।

21. इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारी विधायिका कानून बनाने में सक्षम और दक्ष हों। विधायकों की क्षमता और दक्षता को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं, इसके लिए विधान मंडलों को व्यापक रूप से capacity building की कार्य योजना बनानी चाहिए।

22. परंतु अभी देखने में आ रहा है कि कानून बनाते समय जितनी व्यापक चर्चा और संवाद विधान मंडलों में होना चाहिए, माननीय सदस्यों की जितनी भागीदारी होनी चाहिए, उतनी व्यापक सहभागिता और चर्चा-संवाद नहीं हो पा रहा हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय है।

23. चूंकि जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जनता से जुड़े होते हैं और उनके अभावों, समस्याओं और कठिनाइयों को निकटता से समझते हैं, इसलिए विधि निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसके लिए हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभा का बहुमूल्य समय व्यवधान और शोरगुल के कारण नष्ट न हो।

24. इसलिए आज फिर से विधान मंडलों के अंदर अनुशासन, शालीनता और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। समय समय पर इस संबंध में विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया जाता रहा है।

25. वर्ष 1992, 1997 तथा 2001 में इसके लिए अलग-अलग सम्मेलनों का आयोजन किया गया था जिसमें देश के पीठासीन अधिकारियों, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष और सभी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने विधान मंडलों में अनुशासन, शालीनता और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा और संवाद किए थे और कुछ

प्रस्ताव और संकल्प भी पारित किए थे। आज हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनेताओं के उन संकल्पों को फिर से अमल में लाने की आवश्यकता है ताकि हम सदन की उच्चतम गरिमा को बनाए रख सकें।

26. लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में अपने अनुशासित व्यवहार और शालीन आचरण से सदन की गरिमा बनाए रखेंगे। निजी जीवन में भी उनका कार्य एवं व्यवहार जनसाधारण के लिए अनुकरणीय होना चाहिए जिससे सदन की गरिमा बढे।

27. सदस्यों को अपने व्यवहार में शालीनता, परिपक्वता एवं सदाशयता लाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित करने होंगे जिससे हमारा संसदीय लोकतंत्र गौरवान्वित हो सके।

28. जब भी सदन के कार्य में व्यवधान आता है तो हम जनकल्याण के विषय सदन में नहीं उठा पाते हैं, सदन में महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है जिससे कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना असंभव हो जाता है।

29. इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सदन में विरोध, मतभेद, असहमति नहीं हो। वास्तव में, विरोध, मतभेद, सहमति-असहमति, तर्क-वितर्क, वाद-विवाद और मतांतर हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। इनसे हमारा लोकतंत्र और अधिक समृद्ध और जीवंत हुआ है। परंतु यह आवश्यक है कि विरोध गरिमामय हो और संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो।

30. सभा में वाद-विवाद और विरोध के दौरान एक-दूसरे के प्रति शिष्टाचार, आदर और सम्मान बना रहना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर या बाहर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो संसदीय लोकतंत्र की कार्यक्षमता और उसकी गरिमा को कम करे।

31. सशक्त लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि इस प्रणाली में जनता का विश्वास बरकरार रहे। यह तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधि अपने आचरण से आदर्श प्रस्तुत करे जिससे लोकतंत्र के प्रति जनमानस की आस्था बढ़े।

32. आज भारत नवनिर्माण के दौर से गुजर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश का प्रत्येक वर्ग नए भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता चाहता है।

33. विधान मंडलों व लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत करना हमारा संकल्प है। सार्थक चर्चा और संवाद से हमें लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना है ताकि संपूर्ण विश्व में हम लोकतंत्र के मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकें।

34. साथियों, हमारे देश की संसदीय व्यवस्था में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। देश के अंदर अलग-अलग विचारधारा और विविधताओं के बावजूद हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामूहिक रूप से प्रदेश और देश की जनता की सेवा के लिए काम करते आए हैं।

35. मेरी कामना है कि हम देश और प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए सामूहिक भावना से काम करें ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम प्रदेश और देश की जनता के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली ला सके और उनके जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन ला सकें।

मुझे विश्वास है कि आज की हमारी चर्चा संवाद के अच्छे परिणाम निकलेंगे और पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश जाएगा। धन्यवाद। जय हिन्द।